25/10/24 पत्रावली प्रस्तुत- धारा आदि० 340 विपक्षी आदि० 340 पत्रावली साविक आदेश दिनांक 6/11/24 को पेश हो

6/11/24 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष आदि० 340 प्रकरण मूल वाद के साथ दिनांक 14/11/2024 को पेश हो

14/11/24 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साविक आदेश दिनांक 26/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

26/11/24- पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष आदि० 340 प्रकरण मूल वाद के साथ दिनांक 8/1/25 को पेश हो

8/1/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आदि. एवं प्रार्थीगण अनु.। अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थी आदि. अनु.। पत्रावली में उभयपक्षकारान को अंतिम अवसर वाद्ते बहस दिया जाकर पत्रावली दिनांक 16/1/25 को पेश हो।

8/1/25

16/1/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी- अप्रार्थी एवं उभयपक्षकारान अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई, परन्तु प्रार्थी-अप्रार्थी एवं उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम को अवैध घोषित। अवैध प्रार्थी में खारिज किया जाता है। पत्रावली में निर्णय सेर-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
16/1 भीलवाड़ा